Dr.Bhupendra singh chauhan International Journal of Recent Research Aspects ISSN: 2349-7688, Vol. 4, Issue 1, March 2017, pp. 8-11

भारत में महिला सशक्तीकरण की दशा एवं दिशा

डॉ० भूपेन्द्र सिंह चौहान

प्राचार्यओएसिस इम्पी० कॉलेज ऑफ एजु०गोहद, भिन्ड

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' इस सूत्र के बावजूद हमारे देश में नारी को अबला की संज्ञा देकर सदैव अपमानित किया जाता है। इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलता है कि नारी सदैव से यातना और शोषण का शिकार रही है। प्राचीन भारतीय समाज में नारी को सिर्फ परिवार के सन्दर्भ में ही देखने और उसे महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है। परिवार में उसे पत्नी रूप यानी कि पुत्र पैदा करने की मशीन के रूप में ही व्याख्यायित किया गया हैं इसी का दूसरा पहलू था मातृत्व वाला रूप जिसे देवी माँ, सरस्वती आदि कहकर उसके प्रजनन कार्य को ही उसका एकमात्र कार्य और दायित्व बताया गया है। महाभारत के समय भीष्म ने नारी के विषय में कहा था "क्षुरधारा, विषं, सर्पो, वह्निरित्मेकतः स्त्रिय" यानी छुरे की धार, विष, साँप और आग एक ओर स्त्रियाँ दूसरी ओर। भीष्म ही यह धर्मादेश भी दुहराते हैं– "न च स्त्रीणां क्रियाः कश्चिदिति धर्मो व्यवस्थिता" यानी स्त्रियों के लिए किन्दी भी धार्मिक कार्यों–क्रियाओं का विधान नहीं है।

ब्राह्मण धर्मगन्थ स्त्रियों को हर बुराई की जड़ बताता है "स्त्रियाँ ही मूल दोषाणाम्" यानी स्त्री हर बुराई की जड़ होती है। "दृष्टैव पुरुषं हृदय योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रियाः" यानी पुरुष को देखते ही स्त्री की योनि गीलि हो जाती है।

मध्यकाल में नारी की दशा अत्यन्त दयनीय थी। महाकवि तुलसीदास ने स्त्री के विषय में कहा था– "ढ़ोल, गवांर, सूद्र पशु और नारी सकल हैं ताड़न के अधिकारी।" इस काल में जर, जोरू और जमीर झगड़ों के तीन कारण माने जाते थे। इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी कहा है– "एक कनक एक कामिनी दुर्गम घाटी दोय।" एक ओर जगत कबीर लिखते हैं– "नारी की छांट पड़े तो अंधा होत भुजंग।"

नारी के मातृत्त्व स्वरूप की कहान कल्पना का सुन्दर चित्रण कबीरदास जी ने इस प्रकार किया है "जननी जने तो भक्तजन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावै नूर।।" यानी भक्तजनों दानवीरों और शूरवीरों को पैदा करने वाली नारी बहुत महान है, पूज्यनीय है, अबला नहीं सबला है। अतः कबीर की वाणी में महिला सशक्तिकरण का प्रबल उद्‌गार परलक्षित होता है। महावीर स्वामी स्त्री समाज के समानाधिकार के पक्षपाती थे। प्रसिद्ध इतिहास डॉ० ए०के० अल्तेकर ने लिखा है कि "नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को समाज की सभ्यता का एक मापदण्ड माना जाता है।" महाकवि कालिदास ने भी स्त्रियों के विषय में लिखा है– "गृहणी सचिव सखी मिथः प्रिय शिक्ष्या ललिते कलाविदे।"

इस प्रकार अध्ययन से पता चलता है कि नारी का वर्णन विभिनन प्रकार से किया गया है, आज की नीर को हम भूतकाल की भाँति ही देखते हैं जैसा कि विभिन्न कालों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ विद्वानों ने नारी को भवगुणों की जड़ माना है तो कुछ विद्वानों ने नारी की महिला का सुन्दर वर्णन भी किया है। अतः नारी के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास **1903 में अमेरिका में वुमेन ट्रेड यूनियन** के गठन के साथ शुरू हुआ। 1910 ई० में अमेरिका में महिला दिवस मनाए जाने का मुद्दा उठाया गया। प्रारम्भ में विभिन्न देशों में अलग–अलग तिथियों को महिला दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए बाद में 8 मार्च की तिथि घोषित की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण से इस दिवस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला सशक्तिकरण क्या है?

महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करके सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। यह तभी सम्भव है जब स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों तथा वे हिंसा एवं शोषण की शिकार नह हों।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

आज प्रत्येक दिन हम समाचार–पत्रों एवं टी०वी० चैनलों, पत्रिकाओं आदि माध्यमों से गली–मौहल्लों एवं प्रदेश में नारी उत्पीड़न की घटनायें पढ़ते देखते एवं सुनते हैं। कई घटनायें तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार जैसे कुकृत्य हम देखते एवं सुनते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष प्रधान समाज आज की महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहता, वह उसे दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य करना चाहता है, उन पर हुकूमत जमाये रखना चाहता है। जोकि न्यायोचित नहीं है तथा इसके साथ ही समाज एवं देश के लिए अभिषाप है। महिला सशक्तिकरण के अभाव में ही भुखमरी गरीबी अनैतिक व्यवहार, बलात्कार आदि समस्यायें बढ़ रही है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए महिलाओं को शिक्षित कर सशक्त बनाना बहुत जरूरी है तभी हम सशक्त, विकसित महान भारत की कल्पना को सकार कर विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में देख सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु गठित विभिन्न विभाग/आयोग

1. महिला एवं बाल विकास विभाग– 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रलाय के अधीन इस विभाग का गठन हुआ था। यह विभाग महिलाओं एवं बच्चों की देख–रेख के लिये एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। इस विभाग का मुख उद्देश्य दुराचार की शिकार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की भी जिम्मेदारी है–

1. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिगम, 1959

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

2. स्त्री अपशिष्ट निरूपण, निषेध अधिनियम, 1986
3. दहेज निषेध अधिनियम 1961
4. सतीप्रथा निरोधक अधिनियम, 1987
5. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोलत एवं शिशु आहार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम 1992

यह विभाग अपने सभी दायित्वों का निर्वहन तीन, स्वायत्व संगठनों (1) राष्ट्रीयजन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा (3) राष्ट्रीय महिला कोष तथा एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से करता है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

नई दिल्ली स्थित यह संस्था सामाजिक विकास में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहत के साथ–साथ काम करने हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

इस बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 ई० में हुई थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य समाज कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना है।

राष्ट्रीय महिला कोष

यह योजना 1993 ई० में शुरू की गयी थी। इसे नेशनल केन्द्रित फण्ड फार वूमेन, के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आय अर्जन हेतु सक्षम बनाने के लिये महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण मुख्यतः डेयरी, कृषि, दुकान, हस्तशिला आदि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 ई० को की गई थी। यह आयोग महिलाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जाँच करता है तथा दोषी व्यक्ति को बुलाकर उसका बयान भी लेता है। आयोग स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। आयोग का वार्षिक बजट लगभग 5 करोड़ रहता है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति–2001

भारत में वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में भारत में पहली बार राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के कुछ मुख्य तत्व निम्न हैं–

1. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार करना तथा सभी प्रकार की गतिविधियों में उन्हें शामिल करना।
2. महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेद–भाव को दूर करने के लिए समुचित विचारों, निर्देशों और कानूनों का प्रचलन करना।
3. महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करना।
4. महिलाओं का यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून बनाना।

राष्ट्रीय जनस्वरूपा नीति–2002

इस नीति में घोषित अनेक तत्व महिलाओं के उत्थान में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु बनाए गए मुख्य कानून

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण स्थितियों को समाप्त करने तथा विभिन्न स्तरों पर उन्हें कानून देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गऐ–

- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005
- प्रोटेक्सन ऑफ वूमेन फ्राम दा डोमेस्टिक वायलेण्ट एक्ट 2005
- 15 फरवरी 2006 को सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया।
- बाल विवाह निषेष विधेयक–2004
- ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।
- कृषि नीति महिला सशक्तिकरण।
- कन्या विद्या धन योजना।
- इंदिरा गाँधी मातृत्त्व सहयोग योजना।
- सुधार ग्रह।
- वर्किंग वूमन होस्टल।
- राज्य महिला एवं जिला सम्मान योजना।
- महिला पुलिस वोलुन्टीयर्स।
- बन स्टोक सेन्ट्रीस योजना।

महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्यक्रम

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

स्वाधार– यह योजना 2 जुलाई, 2001 से केन्द्र सरकार ने आरम्भ की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य गम्भीर परिस्थितियों में फँसी महिलाओं को हर सम्भव सहायता प्रदानकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यह योजना एवं राज्य सरकारों के सम्मिलित संसाधनों से पंचायतों एवं स्वयं सहायता प्राप्त समूहों तथा असाशकीय संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।

स्वावलम्बन

1979 ई० में शुरू की गयी नोराठ महिला प्रशिक्षण योजना को 1982 ई० में स्वावलम्बन के कनाम से शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार दिलाना है।

स्वशक्ति

1958 ई० में यह योजना प्रारम्भ की गई थी। यह योजना केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, म०प्र० उ०प्र०, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड में महिला विकास निगमों तथा स्वयं सहायता प्राप्त समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

स्वयंसिद्धा

इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर यह योजना 12 जुलाई 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई।

आशा योजना

इस योजना की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा 11 फरवरी, 2005 को की गई थी। इसके अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ती की तैनाती का प्रावधान है।

इंदिरा गाँधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना

2005–2006 ई० में यह योजना प्रारम्भ हुई थी। इसके अन्तर्गत इकलौती कन्या संतान का कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।

अल्पावधि प्रवास गृह– 1969 ई०

यह योजना 1986 ई० में प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1993 ई० से यह योजना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में अधीन है। इसके अनतर्गत बहिष्कृत महिलाओं के लिए पुनर्वास सुविधा मुहैया कराई जाती है।

जननी सुरक्षा योजना

यह योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। इसका आरम्भ 1 अप्रैल 2005 में हुआ था।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन

15 अगस्त 2001 से प्रारम्भ इस योजना के तहत गीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को सस्तेदर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

सपोर्ट ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लाइमेंट योजना

महिलाओं के यह सुविधा सन् 1986–87 से दि जा रही है। इसका उद्देष्य महिलाओं को कौषल प्रदान करना है जिससे वह रोजगार में प्रवीढ़ होकर अपनी जीविका सुचारू रूप से चला सकें।

जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना

यह योजना 8 मार्च 2005 को शुरू की गई थी। इसके तह भारतीय जवनी मीबा निगम द्वारा 18–50 वर्ष आयु की ग्रामी ण महिलाओं केा गम्भीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है।

स्त्री शक्ति जागरूकता/नारी जागरूकता शक्ति पुरूस्कार 2014

इसकी शुरूआत 8 मार्च 2015 को महिला दिवस के अवसर पर की गयी। इसमें 1 लाख रूपये एवं एक प्रषस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना

इस योजना का शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपथ हरियाणा में कीया। इसका मुख्य उद्देष्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बेटीयों की सुरक्षा करना है। इसके लिए 100 करोड़ राषि की घोषणा हुई। इसी योजना के अन्तर्गत एक उपयोजना सुकन्या सम्रद्धि योजना बनायी गयी इस योजना के अन्तर्गत सुकन्या सम्रद्धि खाता खोला जाता है। जो कि 10 वर्ष से कम उम्र की बेटीयों के लिए शुरू किया गया है। इसकी विषेषता यह है कि इस खाते पर 9.1 प्रतिषत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। यह दर भविष्य में बड़ भी सकती है।

उज्ज्वला योजना

इसका सुभारंभ प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा 1 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेष के बलिया जिला से किया है। इसका मुख्य उद्देष्य देष की समस्त ग्रहणीयों को एल०पी०जी० कनेक्षन देना है। इसके अन्तर्गत 5 करोड़ एल०पी०जी० कनेक्षन उन्हें देना जो बी०पी०एल० कोटे में आते हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा भी सरकार स्वयं सेवी संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे सर्वशिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा, महिला आरक्षण विधेयक, वन्देमातरम् योजना किशोरी शक्ति योजना, परिवार परामर्श केन्द्र आदि।

उपसंहार

देश के विकास व प्रगति में नारी का सदियों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस प्रकार दाम्पत्य रूपी गाड़ी के

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

नारी–पुरुष नामक हो पहिये होते हैं उसी प्रकार समाजरूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी नारी एवं पुरुष रूपी पहियों की बराबर की भागीदारी होती है, इसलिए महिला सशक्तिकरण नितान्त आवश्यक है। महिलाओं को शोषण एवं अत्याचार से बचाने के लिए समाज में उचित सम्मान के लिए देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तीकरण बहुत जरूरी है। इससे महिलायें स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास एवं उन्नति में आगे आयेंगी, देश समद्ध एवं शक्तिशाली बनेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, सरस्वती, भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति, शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
2. डॉ० एस०एल० वरे, भारतीय समाज एवं संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 2008
4. अग्रवाल जे०सी०, भारत में नारी शिक्षा दिल्ली प्रकाशन।
5. डॉ० संजीव जैन, प्राचीन भारतीय संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
6. डॉ० एस०एल० वरे, भारतीय इतिहास में नारी कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
7. सक्सैना, किरण, वूमेन एण्ड पोलिटिक्स, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
8. www.dipavali.co.in
9. www. wcd.nic.in/schemes-listing/2405

IJRRA

© 2017 IJRRA All Rights Reserved